निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –62/2021

श्रीमति शिवा परासर पत्नि श्री गैरुतम्मा पाराशर आयु 41 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी टाईप 2/22 जी अणुकिरण कॉलोनी रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
……………प्रार्थीया

बनाम

1. पानी बाई पत्नि ताराचन्द बुनकर जाति भांबी आयु 70 वर्ष निवासी नया बाजार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
2. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

……………अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री आजाद हुसैन।
अप्रार्थी:– 01 एकतरफा कार्यवाही, 02 पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 16.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम बाडौलिया प0ह0 बाडौलिया तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 72 खसरा संख्या 116 रकबा 1.08है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.08है0 लगान 1.08 रूपये मुझ प्रार्थी के खाते दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है, जिस पर में प्रार्थी काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हूं। उक्त कृषि आराजी संख्या 116 रकबा 1.08है0 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए एक आम रास्ता विपक्षी संख्या 01 के खसरा संख्या 117 रकबा 1.08है0 से होकर बना हुआ था, जो कायम रास्ता आराजी संख्या 134 पर जाकर मिलता है, लेकिन उक्त रास्ता विपक्षी संख्या 01 ने रास्ता हांककर बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रही है, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं है, उक्त रास्ता जो आराजी संख्या 117 की मेड से लगता हुआ आराजी संख्या 116 में आता है, जो प्रार्थी के दर्ज रिकार्ड है, जिसे राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त कृषि आराजी संख्या 116 पर आने जाने के लिए बने उक्त आम रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम नहीं है, इसलिए आराजी संख्या 117 से प्रार्थी रास्ता कायम कराना चाहता है, इसलिए मुझ प्रार्थी खातेदारान के कृषि आराजीयात पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 117 में रास्ता कायम किया जावे तथा नक्शे में भी तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाए, इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने के लिए तैयार है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) रा.टी.ए. में पेश कर नया रास्ता कायम करने का निवेदन किया । अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 116 में प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 117 में रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.06 17:39:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वि[illegible] तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 न्यायालय में उपस्थित नहीं [illegible] दिनांक 08.03.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार सरकार दिनांक 04.10.2023 को जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट अनुसार ग्राम बाडौलिया आराजी संख्या 116 रकबा 1.08है0 भूमि श्रीमती शिवा परासर पत्नि गैरुतम्मा पाराशर जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 116 पर पहुंचने के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीया द्वारा रावतभाटा से

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

कोटा सडक से ग्राम नीम का खेडा में खेतो पर जा रहा है कच्चा रास्ता जिसके आराजी संख्या 134 है जिससे लगता हुआ आराजी संख्या 117 रकबा 1.08है0 भूमि पानी बाई पत्नि ताराचन्द बुनकर के नाम खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड है। आराजी संख्या 117 में उत्तरी मेड के सहारे-सहारे रास्ता चाहा गया है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का अन्य वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं है। आराजी संख्या 117 में लम्बाई 192 मीटर व चौडाई 5 मीटर के आधार पर 192X5=960 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 603000 रू प्रति हैक्टयेर अथवा 60.3 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 960 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 960 X60.3=57888 रूपये बनती है। जिसका दोगुना राशि 57888 X2=115776 रूपये बनती है।

हमने प्रार्थी पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा वे वर्तमान में विपक्षी की आराजी संख्या 117 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे रास्ता चाहा गया। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु कम दूरी का अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-251 (क) बाबत ग्राम बाडोलिया प0ह0 बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की जमाबंदी सम्वत 2076-79 की खाता संख्या 72 खसरा संख्या 116 रकबा 1.08है0 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 117 में से जो न्यूनतम दूरी का मार्ग होने से तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 960 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 603000/रू. अनुसार कीमत 57888/रू. की दुगुनी दर से राशि 115776/रू. (अक्षरे रूपये एक लाख पन्द्रह हजार सात सौ छयोतर रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार को किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 01 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अगल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को सूचनार्थ भेजी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.06 17:39:16 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (चित्तौड़गढ़) रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Scanned with CamScanner